

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/आर-244/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती राजेश कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुंनू द्वारा अधिशेष घोषित किये जाने के कारण इनकी प्रतिनियुक्ति निदेशालय के आदेश क्रमांक 1382 दिनांक 16.09.2016 द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधीन की गई थी। इस आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरुद्ध कार्मिका द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर में अपील संख्या 3381/2016 दायर की जाकर स्थगन प्राप्त किया हुआ है, को उसके स्वयं के द्वारा उक्त अपील विद्वा किये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसके निवेदन उपरांत उनकी स्वयं की प्रार्थना पर उनका पदस्थापन/समायोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।


(रामनिवास जाट)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/आर-244/2017/ 492

दिनांक:- 10/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन बीकानेर/जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/झुझुंनू।
- ✓ 5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्रीमती राजेश कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रेषित कर लेख है कि वे अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को तत्काल प्रस्तुत करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर